न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 150 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1958

उनवान

[illegible] पिता सुखेदव जाट निवासी रहड तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

[illegible] पिता नदा गुजेर निवासी रहड तहसील शाहपुरा

विपक्षी

उपस्थित – श्री कन्हैयालाल धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05 / 01 / 2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम रहड** [illegible] शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 545 रकबा 0.55 है0** कुल **किता 1** रकबा 0.55 है0 हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी [illegible] आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता [illegible] पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बावजूद [illegible] उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने [illegible] का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रहड़ संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन [illegible] उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी [illegible] चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रहड़** में स्थित प्रार्थी [illegible] उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.55 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय मे [illegible] हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100/-- रूपये कायम [illegible] है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 / 01 / 2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान [illegible] में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.